

दिशा निर्देश

(सत्र 2021-22)

ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त ब्लॉक में विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों (SDMC) का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से अनेक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को और अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन ब्लॉकों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा के सामुदायिक गतिशीलता मद के उपमद मीडिया एवं सामुदायिक गतिशीलता प्रावधित बजट से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों के साथ ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। उक्त ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह अक्टूबर, 2021 तक सम्पन्न कराया जाना है। ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 50 संभागियों के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 208.671/- रखी गई है। अर्थात् 50 संभागियों के लिए ₹ 10433.55/- तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।

कार्यशाला में चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा – प्रधान, उपप्रधान, पार्षद एवं पंचायत समिति सदस्य आदि संभागी होंगे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यथा – विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (CBEO), अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ACBEO), बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), महिला अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि, ब्लॉक मुख्यालय पीईईओ/प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष आदि। इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 50 तक नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते हैं।

ब्लॉक कार्यशाला पर होने वाले व्यय को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है-

क्र. सं.	विवरण	ब्लॉक स्तर पर 50 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 120/- प्रति सम्भागी की दर से	6000
2.	जलपान (चाय-नाशता) 25/-रूपये प्रति व्यक्ति	1250
3.	स्टेशनरी 15 रूपये प्रति व्यक्ति	750
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय-2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए ₹ 400/- परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	800
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	700
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	933.55
	योग	10433.55

- उपरोक्त व्यय संभावित है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक की स्वीकृति से निर्धारित इकाई लागत तक आवश्यक संशोधन कर व्यय कर सकता है। कार्यशाला में निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
- कार्यशाला के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक के नेतृत्व में अति० जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एवं ब्लॉक स्तर पर CBEO के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रभारी संदर्भ व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

- कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञों/सन्दर्भ व्यक्तियों, जो जिला मुख्यालय से बाहर से आयेंगे, को बस/रेल किराये का भुगतान जिला प्रबन्धन मद से किया जा सकेगा।
- कार्यशाला में परियोजना कार्मिकों के अतिरिक्त आमंत्रित विशेषज्ञों को ₹ 400/- प्रतिदिन मानदेय देय होगा।

कार्यशाला आयोजन हेतु निम्नांकित तैयारियाँ करें :-

- स्थान का चयन, कार्यशाला की आवश्यकता एवं जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों की संख्या तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
- कार्यशाला के आयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर प्रधान/विकास अधिकारी की सहमति से कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण।
- कार्यशाला के संभागियों का चयन कर समय पर उनको सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।
- कार्यशाला आयोजन के पश्चात् कार्यशाला का कार्यवृत्त/प्रतिवेदन तैयार कर प्रसारित किया जायें तथा कार्यक्रम के आधार पर किये गये निर्णयों/सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु परिपत्र/आदेश का प्रारूप तैयार कर सक्षम स्वीकृति के पश्चात जारी किया जायें। प्रतिवेदन की प्रति परिषद् कार्यालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी में से दो व्यक्तियों को सदस्य व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।
- ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला अक्टूबर, 2021 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाकर प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यशाला का समय प्रातः 10 से सायं 05.00 बजे तक होगा।

आमुखीकरण कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है :-

- विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, अधिकार एवं कर्तव्य।
- आरटीई एक्ट-2009 के मुख्य प्रावधान।
- शिकायत निवारण तंत्र।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण।
- समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियाँ एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे विभिन्न नवाचार आदि।

- स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- बाल अधिकार।
- मिड-डे-मील।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ विशिष्ट चुनौतियां तथा मुद्दे हो सकते हैं। कार्यशाला में चर्चा के दौरान इनको भी अपेक्षित स्थान दिया जाये।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, MOE, GoI, नई दिल्ली की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. भंवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक

3865 दिनांक : 23.9.2024

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामुगति./ब्लॉकस्तरीय/दिशा-निर्देश/2021-22/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

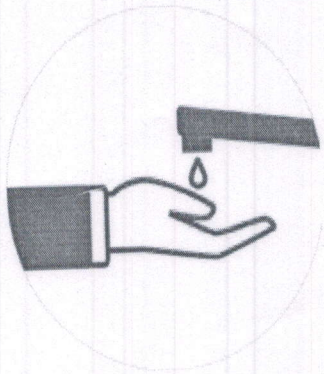
1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. राशिम शर्मा)

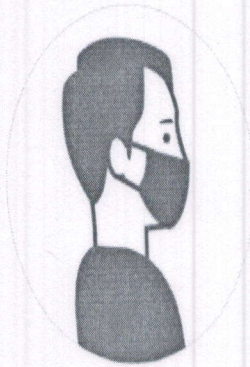
अति. राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

S.N	District	Block	301 Block Level Awareness	
			@ Rs.208.671/- per person.	
			Target	
			Phy.(50 persons per block)	Fin. (in lakhs)
1	Ajmer	9	450	0.939
2	Alwar	14	700	1.461
3	Banswara	11	550	1.148
4	Baran	7	350	0.730
5	Barmer	17	850	1.774
6	Bharatpur	10	500	1.043
7	Bhilwara	12	600	1.252
8	Bikaner	7	350	0.730
9	Bundi	5	250	0.521
10	Chittaurgarh	11	550	1.148
11	Churu	7	350	0.730
12	Dausa	6	300	0.626
13	Dhaulpur	5	250	0.522
14	Dungarpur	10	500	1.043
15	Ganganagar	9	450	0.939
16	Hanumangarh	7	350	0.730
17	Jaipur	19	950	1.982
18	Jaisalmer	3	150	0.313
19	Jalor	8	400	0.835
20	Jhalawar	8	400	0.835
21	Jhunjhunu	8	400	0.835
22	Jodhpur	17	850	1.774
23	karauli	6	300	0.626
24	Kota	6	300	0.626
25	Nagaur	14	700	1.461
26	Pali	10	500	1.043
27	Pratapgarh	5	250	0.522
28	Rajsamand	7	350	0.730
29	Sawli Madhopur	6	300	0.626
30	Sikar	9	450	0.939
31	Sirohi	5	250	0.522
32	Tonk	6	300	0.626
33	Udaipur	17	850	1.774
Total		301	15050	31.405

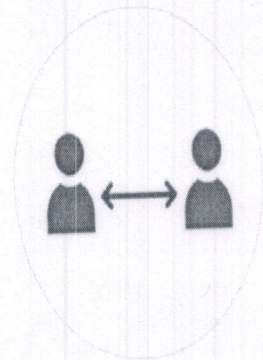
कोरोना से बचाव के उपाय अपनायें



बार बार
हाथ धोयें



मास्क पहन
कर बाहर जायें



2 गज की दूरी
बनायें रखें